मध्य प्रदेश राज्य और अन्य

बनाम

मेधा पाटकर व अन्य

(2011 की सिविल अपील संख्या 6229)

2 अगस्त 2011

[जे.एम. पांचाल, दीपक वर्मा और

डॉ. बी.एस. चौहान, जे.जे.]

भूमि अधिग्रहणः

नहरों की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण- क्षतिपूर्ति- 'नहर प्रभावित व्यक्ति - इंदिरा सागर परियोजना व ओंकारेश्वर बांध के निर्माण के बाद, नहरें स्थापित करने के लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया, नहर प्रभावितों के लिए नर्मदा घाटी परियोजनाओं के लिए बनाई गई पुनर्वास और पुर्नस्थापन नीति का पूरा लाभ देने का दावा करते हुए रिट याचिका व्यक्तियों को भी- माना गयाः नर्मदा बचाओ आंदोलन -1 में इस न्यायालय ने माना है कि नहर प्रभावित व्यक्तियों को 'जलमग्नता प्रभावित व्यक्तियां के बराबर नहीं रखा जा सकता है - यह उच्च न्यायालय को इसके विपरीत दृष्टिकोण रखना स्वीकार्य नहीं था - की परिभाषा नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण पुरस्कार के तहत 'विस्थापित' अपने दायरे में 'नहर प्रभावित

व्यक्ति को नहीं लेता है और न ही उक्त पुरस्कार तत्काल मामले में परियोजनाओं पर लागू होता है - हालांकि, अंतरित आदेश में, सर्वोच्च न्यायालय ने 'कठिनाई के मामलों का ध्यान रखा है - इसके अलावा, राज्य सरकार द्वारा सुझाई गई तारीख एस.4 अधिसूचना को तत्काल निर्णय की तारीख में स्थानांतरित कर दिया गया और भूमि अधिग्रहण कलेक्टर को संबंधित भूमि के बाजार मूल्य पर पुनर्विचार करने और भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पूरक पुरस्कार देने का निर्देश दिया गया - यह स्पष्ट किया गया है कि आगे नहर का काम मंजूरी के अधीन होगा जो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय - भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 जनहित याचिका - पूर्ववर्ती।

इंदिरा सागर परियोजना और ओंकारेश्वर बांध का कार्य पूर्ण होने पर नहरों की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के तहत भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू की गयी थी। उत्तरदाताओं ने अन्य बातों के अलावा, इस आधार पर नहरों के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की कि आज्ञा क्षेत्र विकास योजनाएं (सी.ए.डी. योजनाएं) प्रस्तुत नहीं की गयी थी और ना ही इसे मंजूरी दी गयी थी। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ.) द्वारा अनुमोदित किया गया था; कि पंचायतों (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) अधिनियम, 1996 का कोई अनुपालन नहीं हुआ था (पीईएसए अधिनियम), जिसके लिए भूमि की शुरुआत से पहले पंचायतों के

पदाधिकारियों के साथ परामर्श की आवश्यकता होती है। अधिग्रहण की कार्यवाही; नहर प्रभावित व्यक्ति, आर एंड आर की नीति के अनुसार अर्जित भूमि के बदले में भूमि के आवंटन सहित, नर्मदा घाटी परियोजनाओं के लिए बनाई गयी पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति (आर एंड आर नीति) के पूर्ण लाभ के भी हकदार थे।

उच्च न्यायालय ने, अन्य बातों के साथ-साथ, माना कि यद्यपि बांध और नहरों के जलमग्न क्षेत्रों के विस्थापितों के बीच वर्गीकरण करने में एक बोधगम्य अंतर था, लेकिन जहां तक पुनर्वास का सवाल है, उद्देश्य को प्राप्त करने के साथ इसका कोई तर्कसंगत संबंध नहीं है और इसलिए नहर कार्य से प्रभावित व्यक्ति जलमग्नता प्रभावित व्यक्तियों के समान ही लाभ के हकदार थे। व्यथित होकर राज्य सरकार ने अपील दायर की।

अपील का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि:

1.1 नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण पुरस्कार, 1997 से यह स्पष्ट है कि 'विस्थापित' की परिभाषा ''नहर प्रभावित व्यक्ति को अपने दायरे में नहीं लेती है। हालांकि, उक्त पुरस्कार तत्काल मामले में परियोजनाओं पर लागू नहीं होता है, क्योंकि यह केवल सरदार सरोवर परियोजना जैसी अंतर-राज्य परियोजनाओं के लिए था। [पैरा 13] [676-ई-एफ; 677-सी]

1.2 जहां तक इंदिरा सागर परियोजना का सवाल है, इसे 24.6.1987 को मंजूरी दे दी गई थी और इसमें पुनर्वास के लिए कोई विशिष्ट दिशा नहीं

थी। इसी प्रकार, ओंकारेश्वर परियोजना के लिए, 13.10.1993 को मंजूरी दी गई थी और उसके भाग (vii) में प्रावधान किया गया था कि पुनर्वास कार्यक्रम को ''अनुमेय के अनुसार'' उपयुक्त भूमि की पहचान और आवंटन करके भूमिहीन मजदूरों और नहर के कारण प्रभावित लोगों तक बढाया जाएगा। इस न्यायालय द्वारा ''जैसा स्वीकार्य'' शब्दों की व्याख्या की गई है और इस मुद्दे पर नए सिरे से पुनर्विचार करने का कोई कारण नहीं है। [पैरा 14] [677-डी-एफ]

'नर्मदा बचाओ आंदोलन बनाम मध्यप्रदेश राज्य, एआईआर 2011 एससी 1989- पर निर्भर।

1.3 इस न्यायालय में नर्मदा बचाओ आंदोलन- 1'' में यह विचार रखा है कि नहर प्रभावित व्यक्तियों को जलमग्नता प्रभावित व्यक्तियों के बराबर नहीं रखा जा सकता है। तथ्य-स्थिति को देखते हुए, उच्च न्यायालय के लिए इस न्यायालय द्वारा अपनाये गए दृष्टिकोण के विपरीत दृष्टिकोण अपनाने की अनुमति नहीं थी, खासकर, जब उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंची कि दोनों के बीच उचित अंतर था। हालांकि, इस न्यायालय ने दिनांक 05.05.2010 के एक अंतरिम आदेश द्वारा नहर प्रभावित क्षेत्रों में ''कठिनाई के मामलों का भी ध्यान रखा है। [पैरा 18-19] [678-जी-एच; 697-ए-बी]

''नर्मदा बचाओ आंदोलन बनाम भारत संघ एवं अन्य 2004 (4) पूरक एससीआर 94 = (2000) 10 एससीसी 664 - पर निर्भर।

1.4 राज्य ने विनम्रतापूर्वक इस पर सहमति व्यक्त की है कि नहर प्रभावित व्यक्तियों को अधिक लाभ दें, न्यायालय कुछ और लाभ दे सकता है। राज्य ने सुझाव दिया है कि इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए धारा 4 अधिसूचना, इसकी वास्तविक तिथि को ध्यान में रखे बिना, सभी नहर प्रभावित व्यक्तियों के संबंध में इस निर्णय की तिथि पर स्थानांतरित (स्थगित) की जाए और भूमि का बाजार मूल्य अधिनियम 1894 के प्रावधानों के अनुसार पूरक बनाकर पुनः निर्धारित किया जाए। पूरक पुरस्कार का प्रावधान करना और ऐसे विस्थापितों को अधिनियम 1894 की धारा के तहत संदर्भ दाखिल करने का अवसर दिया गया है। मामले को ध्यान में रखते हुए, भूमि अधिग्रहण कलेक्टर को नहर प्रभावित व्यक्तियों की भूमि के बाजार मूल्य पर धारा 4 अधिसूचना के अनुसार पुनर्विचार करने का निर्देश दिया गया है। उसी के संबंध में दिनांक, अर्थात 2.8.2011 को जारी किया गया है, और अधिनियम 1894 के प्रावधानों के अनुसार पूरक पुरस्कार दें। इस तरह राज्य सरकार द्वारा दी गई रियायत समाप्त हो जाएगी और इस न्यायालय द्वारा दिनांकित 05.05.2010 आदेश द्वारा दी गई राहत से अधिक होगी और यह स्पष्ट किया गया है कि आगे नहर का काम मंजूरी/निर्देश के अधीन होगा जो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दिया जा सकता है। [पैरा 20] [679-बी-एफ]

मामला कानून संदर्भः

2000 (4) पूरक एससीआर 94	निर्भर	पैरा 5
एआईआर 2011 एससी 1989	निर्भर	पैरा 14

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील संख्या 6229/2011।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के डब्ल्यू.पी. (ग) 2009 की सं. 6056 में पारित निर्णय और आदेश 11.11.2009 दिनांकित से।

टी.आर. अंध्यारुजिना, सी.डी. सिंह, सनी चौधरी, शोमिक घोष, अभिमन्यु सिंह अपीलार्थियों की ओर से।

मोहन जैन, एएसजी, डी.के. ठाकुर, प्रभात कुमार, रेखा पांडे, श्रीकांत एन. तेरदल, संजय पारीख, ममता सक्सैना, अनीता शेनॉय, सैयद नकवी, एन.के. शर्मा, टीना, राजेश कुमार, मेधा पाटकर (व्यक्तिगत रूप से उत्तरदाता) उत्तरदाताओं की ओर से।

न्यायालय का निर्णय डॉ. बी.एस. चौहान, जे. के द्वारा अभिनिर्धारित किया गयाः-

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. इस अपील को मध्य प्रदेश राज्य जिसमें जबलपुर में मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की 2009 की रिट याचिका (सी) संख्या 6056 में दिनांक 11.11.2009 के फैसले और आदेश के खिलाफ प्रस्तुत किया गया है

जिसमें उच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश राज्य व अन्य किसी सांविधिक प्राधिकारी को इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर परियोजनाओं के कमांड क्षेत्रों के लिए नहर के जाल के लिये किसी खुदाई या निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण करने से रोक दिया है जब तक की कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम (इसके बाद सीडी कार्यक्रम कहा जाएगा) भारत सरकार को सौंपा जाता है , पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (इसके बाद एमओईफ कहा जाएगा) की विशेषज्ञों की समिति द्वारा जांच की जाती है और उक्त मंत्रालय द्वारा मंजूरी दी जाती है। अपीलकर्ता- राज्य सरकार को पुनर्स्थापन व पुनर्वास नीति (जिसे इसके बाद आर एंड आर नीति कहा जाएगा) के अंतर्गत नर्मदा घाटी परियोजना के इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर परियोजनाओं के कारण विस्थापित व्यक्तियों/परिवारों को पुनर्स्थापन व पुनर्वास लाभ प्रदान करने के लिए निर्देशित किया जाता है इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर परियोजनाओं और नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण (इसे इसके बाद एनसीए कहा जाएगा) को उपरोक्त कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है।

3. इस अपील को जन्म देने वाले तथ्य और परिस्थितियां निम्न है:

ए. बांधों एवं सिंचाई परियोजनाओं की स्थापना हेतु निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर इंदिरा सागर एवं ओंकारेश्वर परियोजनाओं की परियोजना रिपोर्ट तैयार कर क्लीयरेंस हेतु प्रस्तुत की जा चुकी है। इंदिरा सागर परियोजना

के लिए पर्यावरण मंजूरी एमओईएफ द्वारा 24.06.1987 को एक प्रशासनिक आदेश द्वारा प्रदान की गई थी। योजना आयोग ने 6.9.1989 को इंदिरा सागर परियोजना में किये जाने वाले निवेश को भी मंजूरी दे दी।

(बी). मध्य प्रदेश राज्य द्वारा नर्मदा घाटी परियोजनाओं में जलमग्न क्षेत्र के विस्थापितों के लिए 1989 की आर एंड आर नीति शुरू की गई थी। इंदिरा सागर जल परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही वर्ष 1991 में प्रारम्भ की गयी। ओंकारेश्वर परियोजना के लिए एक व्यापक सीएडी योजना मंजूरी के लिए एमओईएफ को भेजा गया था। ओंकारेश्वर परियोजना के लिए पर्यावरण प्रभाव आंकलन और पर्यावरण प्रबंधन योजना रिपोर्ट भी एमओईएफ को प्रस्तुत की गई थी जिसमें ओंकारेश्वर परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के लिए आर एंड आर योजना भी शामिल थी। इसमें प्रावधान किया गया कि जिन व्यक्तियों की भूमि नहरों की स्थापना के लिए अधिग्रहीत की जानी थी, उन्हें आर एंड आर योजनाओं में शामिल नहीं किया जाना था।

सी. कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने 8.10.1993 को ओंकारेश्वर परियोजना की आर एंड आर योजना को मंजूरी दे दी। इसी प्रकार, एक प्रशासनिक आदेश द्वारा 13.10.1993 को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा ओांकरेश्वर परियोजना के लिए पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की गई थी।

डी. एमओईएफ ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (इसके बाद इसे अधिनियम 1986 कहा जाएगा) की धारा 3(2) के तहत वैधानिक अधिसूचना जारी की, जिसे पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5(3) के साथ पढा गया, जिसमें परियोजना के विकास के लिए पर्यावरणीय मंजूरी की दिनांक 27.1.1994 को आवश्यकता थी। इंदिरा सागर परियोजना में नहर निर्माण 30.5.1999 को प्रारंभ हुआ। एनवीडीडी ने दिनांक 14.08.2000 के आदेश के तहत खंड 1(ए) में निम्नलिखित शब्द जोडकर ''विस्थापित व्यक्ति की परिभाषा में संशोधन किया:

> ''....या परियोजना से संबंधित नहर निर्माण और सरकारी परियोजना कॉलोनी के निर्माण के लिए आवश्यक है।''

योजना आयोग ने 15.05.2001 को ओंकारेश्वर परियोजना के संबंध में मंजूरी प्रदान की। दिनांक 1.9.2003 के संशोधन द्वारा आरएंडआर नीति में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया क्योंकि ''विस्थापित व्यक्ति की परिभाषा से ''नहरों या सरकारी परियोजना कॉलोनी के परियोजना संबंधी निर्माण के लिए आवश्यक'' शब्द हटा दिये गए।

पुनर्वास नीति में संशोधन नर्मदा नियंत्रण बोर्ड (एनसीबी) द्वारा एनवीडीए की सिफारिश पर 2.7.2003 को नर्मदा नियंत्रण बोर्ड के व्यावसायिक नियमों के अनुसार भाग 2 आपातकालीन स्थिति के लिए

विशेष प्रक्रिया के अनुसार किया गया था जिसकी मंजूरी मध्यप्रदेश सरकार के व्यावसायिक नियमों के तहत नहीं दी गयी।

ई. इंदिरा सागर परियोजना का बांध निर्माण वर्ष 2005 में पूरा हुआ और उच्च न्यायालय ने एक लंबित मुकदमें में मध्य प्रदेश राज्य को इंदिरा सागर बांध के जल स्तर को 262.13 मीटर के पूर्ण जलाशय स्तर के मुकाबले 260 मीटर तक बढाने की अनुमति दी। आदेश दिनांक 8.9.2006 उच्च न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया कि एनसीए की इंदिरा सागर परियोजना यानी अंतर-राज्य परियोजना के संबंध में कोई भूमिका नहीं थी क्योंकि इसकी भूमिका अंतर-राज्य परियोजना, यानी सरदार सरोवर परियोजना तक ही सीमित थी।

एफ. ओंकारेश्धर बांध वर्ष 2007 में पूरा हुआ। नहरें स्थापित करने के लिए, भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही वर्ष 2009 में शुरू की गई थी और कुछ मामलों में कार्यवाही के समापन के बाद, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (इसके बाद अधिनियम 1894 कहा जाएगा) के प्रावधानों के तहत मुआवजा दिया गया। अधिनियम 1894 का भुगतान कर दिया गया है। हालांकि, कुछ मामलों में अधिग्रहण की कार्यवाही अभी भी जारी है।

जी. उत्तरदाताओं ने नहरों की खुदाई के लिए भूमि के अधिग्रहण को चुनौती देते हुए 18.6.2009 को जबलपुर में मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका (सी) संख्या 6056/2009 प्रस्तुत की; अन्य बातों

के साथ-साथ विभिन्न आधारों पर नहर का निष्पादन, उत्खनन और निर्माण; सीएडी योजनाएं राज्य द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई थीं और एमओईएफ द्वारा अनुमोदित नहीं थी; वहां पंचायत (अनुसूचित क्षेत्र का विस्तार) अधिनियम, 1996 (इसके बाद इसे पीईएसए अधिनियम कहा जाएगा) का कोई अनुपालन नहीं किया था, जिसके लिए भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू करने से पहले पंचायतों के पदाधिकारियों के साथ परामर्श की आवश्यकता थी; नहर प्रभावित व्यक्ति आर एंड आर नीति के पूर्ण लाभ के भी हकदार थे, जिसमें आर एंड आर नीति के अनुसार अर्जित भूमि के बदले में भूमि का आवंटन भी शामिल था, जिसका प्रावधान नहीं किया गया था।

एच. मध्यप्रदेश राज्य, अपीलकर्ता ने यह कहते हुए मामला लडा कि भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही को देर से चरण में चुनौती नहीं दी जा सकती, यानी बेदखली के विलंबित चरण के बाद; सीएडी योजनाएं प्रस्तुत की थीं और एमओईएफ द्वारा अनुमोदित होने के बाद उस पर कार्यवाही की थी। नहर प्रभावित व्यक्ति के साथ विस्थापित व्यक्ति के समान व्यवहार नहीं किया जा सका बांध का जलमग्न क्षेत्र, ऐसे वर्ग के व्यक्तियों के लिए निर्धारित नीति के अनुसार लाभ दिया जाएगा।

4. उच्च न्यायालय ने प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद निम्नानुसार निर्णय लियाः

(I) इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर परियोजनाओं की सीएडी योजनाओं को तैयार करने और पर्यावरण सुरक्षा उपायों की निगरानी, योजना और कार्यान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई प्राधिकरण को प्रस्तुत करने की आवश्यता थी और यह नहरों के शुरू होने से पहले किया जाना था ताकि ऐसा हो सके। प्राधिकरण यह सुनिश्चित कर सकता है कि पर्यावर्णीय सुरक्षा उपायों और शमन उपायों की उचित योजना बनाई गई है और नहर परियोजना के निर्माण के साथ ही इसे लागू किया जा सकता है।

(II) यदि ऐसे निगरानी प्राधिकारी को सीएडी योजनाएं तैयार करने और प्रस्तुत करने से पहले भूमि का अधिग्रहण और उत्खनन किया जाता है, तो नहर परियोजना के निर्माण के साथ पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों को लागू नहीं किया जा सकता है। बल्कि, यदि मुख्य नहरों और शाखा नहरों का निर्माण पर्यावरणीय आवश्यकताओं की ध्यान में रखे बिना किया जाता है, तो जल जमाव और लवणता की भारी समस्या हो सकती है, जिससे पर्यावरणीय योजनाएं प्रभावित हो सकती है और पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए सौंपा गया प्राधिकरण भूमि अधिग्रहण को उलटने में सक्षम नहीं हो सकता है।

(III) बांध और नहरों के जलमग्न क्षेत्रों के विस्थापितों के बीच वर्गीकरण करने में एक स्पष्ट अंतर था, लेकिन जहां तक पुनर्वास का संबंध था, प्राप्त करने के उददेश्य के साथ कोई तर्कसंगत संबंध नहीं था। इस

प्रकार, नहर कार्य से प्रभावित व्यक्ति जलमग्नता प्रभावित व्यक्तियों के समान ही लाभ के हकदार थे।

(IV) पीईएसए अधिनियम की धारा 3 व 4 (i) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए राज्य विधानमंडल भारत के संविधान के भाग IX के तहत ग्राम सभा या पंचायतों की बुनियादी विशेषताओं के साथ असंगत किसी भी कानून को उचित स्तर पर बनाने के लिए सक्षम नहीं था, जिसमें विकास परियोजनाओं के लिए अनुसूचित क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के लिए परामर्श की आवश्यकता हो। इसलिए, भूमि अधिग्रहण से पहले ग्राम सभा से परामर्श करने के लिए स्वीकार्य नहीं था।

(V) भूमि अधिग्रहण की चुनौती पर देर से विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि भूमि का कब्जा बहुत पहले ही ले लिया गया था।

(VI) एमओईएफ से मंजूरी के लिए एजेंटों को पर्यावरण संरक्षण उपायों की निगरानी करने की आवश्यकता होती है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय ने निर्देश जारी किए, जैसा कि उपर पैरा 2 में बताया गया है। इसलिए यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

5. श्री टी.आर. अंध्यारुजिना, विद्वान वरिष्ठ वकील अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित होकर उन्होंने प्रस्तुत किया है कि सीएडी योजनाएं अधिकारियों द्वारा समय समय पर केंद्र सरकार के मंत्रालयों को प्रस्तुत किए

गए है और उन्हें मंजूरी मिल गयी है और उन मंजूरी का सख्ती से पालन करते हुए कार्य निष्पादित किया गया है। वर्तमान में भी, संशोधित सीएडी योजनाएं प्रस्तुत की गयी हैं और एमओईएफ की विशेषज्ञ समिति द्वारा उन पर विचार किया जा रहा है, जिसमें प्रतिवादी सुश्री मेधा पाटकर को भी सुना गया है। चूंकि उनके द्वारा बडे पैमाने पर दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं और यह न्यायालय समय समय पर निर्देश जारी करता रहा है, इसलिए एमओईएफ ने अभी तक अंतिम निर्णय नहीं लिया है। राज्य अधिकारी बाध्य है। एमओईएफ कुछ निर्देश जारी करता है या कुछ बदलाव आदि के लिए कहता है, तो राज्य सरकार तदनुसार आगे बढेगी। इसलिए श्री अध्यारुजिना के अनुसार, सीएडी योजनाओं को प्रस्तुत करने और मंजूरी देने का मुद्दा इस स्तर पर अदालत द्वारा तय नहीं किया जाना चाहिए। श्री अंध्यरुजिना द्वारा आगे यह भी प्रस्तुत किया गया है कि यदि कोई पक्ष एमओईएफ द्वारा परित किये जाने वाले आदेश से व्यथित होता है तो वह उक्त आदेश को उचित मंच के सामने चुनौती देने के लिए स्वतंत्र होगा।

जहां तक कि पुनर्वास का प्रश्न है, राज्य की ओर से यह प्रचार किया गया है कि नहर प्रभावित व्यक्तियों को जलमग्नता प्रभावित व्यक्तियों के बराबर रखने का प्रश्न ही नहीं उठता। नर्मदा बचाओ आंदोलन बनाम भारत संघ और अन्य, (2000)10 एससीसी 664, (इसके बाद इसे ''नर्मदा बचाओ आंदोलन 1'' कहा जाएगा) में इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से माना है कि दोनों वर्ग अलग-अलग हैं और उन्हें समान स्तर पर नहीं रखा जा सकता

है। नहर प्रभावित लोगों को नहरों के कारण लाभ हो सकता है जबकि जलमग्नता प्रभावित व्यक्तियों को स्थायी या अस्थायी रूप से नुकसान हो सकता है। इसलिए, इस आशय से, दोनों वर्गों को एक समान मानने का निर्देश जारी करना उच्च न्यायालय के लिए उचित नहीं था।

6. दूसरी ओर, व्यक्तिगत रूप से प्रतिवादी सुश्री मेधा पाटकर और प्रतिवादियों के विद्वान वकील श्री संजय पारिख ने प्रस्तुत किया है कि व्यक्तियों की पीडा में कोई अंतर नहीं है, चाहे वे जलमग्नता प्रभावित व्यक्ति हों या नहर प्रभावित व्यक्ति उनके साथ अलग व्यवहार करने के लिए कोई तार्किक सांठगांठ नहीं ढूंढी जा सकती। इसलिए, उस सीमा तक उच्च न्यायालय के निष्कर्ष में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। राज्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत सीएडी योजनाएं पूर्ण नहीं हैं और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति द्वारा उनकी जांच की जा रही है। इसलिए, उच्च न्यायालय ने प्राधिकरण को नहरों आदि की खुदाई या स्थापना न करने का उचित निर्देश दिया है। मामले के तथ्य इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रखते हैं। अपील में योग्यता नहीं है और इसे खारिज किया जा सकता है।

7. हमारे द्वारा पक्ष के विद्वान वकील द्वारा किये गये प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार किया गया है तथा रिकॉर्ड का अध्ययन किया गया है।

8. हालांकि उच्च न्यायालय के समक्ष बडी संख्या में मुद्दों को उठाया गया है और उन्हें निपटाया गया है, उनमें से कुछ हमारे सामने नहीं उठाये गये हैं। भूमि अधिग्रहण से पहले ग्राम सभा या पंचायतों से परामर्श का मुद्दा और उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिकाकर्ताओं के खिलाफ अधिग्रहण की कार्यवाही की वैधता पर विचार किया गया था और इसे हमारे समक्ष चुनौती नहीं दी गयी है। इस प्रकार, केवल दो मुद्दे बचे हैं, अर्थात एमओईएफ के समक्ष सीएडी योजनाओं को प्रस्तुत करना और इसकी मंजूरी की आवश्यकताएं; और नहर प्रभावित व्यक्तियों का हक।

9. जहां तक पहले मुद्दे का सवाल है, इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए दिनांक 25.2.2010 को आदेश दिया कि सीएडी योजनाओं आदि पर विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया जा रहा था। एमओईएफ और कई वर्षों तक नहर की खुदाई और निर्माण कार्य और उस उद्देश्य के लिए भूमि का अधिग्रहण काफी हद तक किया गया था और उच्च न्यायालय के आदेश ने उसे रोक दिया, निम्नलिखित आदेश पारित कियाः

> "उपरोक्त परिस्थितियों में, नहर के काम की खुदाई या निर्माण और भूमि का अधिग्रहण फिलहाल जारी रह सकता है, हालांकि यह 16 अक्टूबर 2009 को प्रस्तुत संशोधित

योजनाओं के एमओईएफ के अनुमोदन के अधीन होगा। राज्य कमांड क्षेत्र विकास योजनाओं के संबंध में अधिक विवरण एमओईएफ को दाखिल करने के लिए स्वतंत्र रहें और यदि कमांड क्षेत्र विकास योजनाओं के संबंध में ऐसे विवरण दाखिल किए जाते हैं, तो उन्हें विचार के लिए विशेषज्ञ समिति को भेजा जा सकता है। विशेषज्ञ समिति छः सप्ताह की अवधि की सीमा के भीतर निर्णय लेगी और जैसे ही रिपोर्ट एमओईएफ को उपलब्ध होगी, एमओईएफ उसके बाद चार सप्ताह की अवधि के भीतर निर्णय लेगा।''

10. श्री मोहन जैन, एमओईफ की तरफ से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, ने राज्य के मामले का समर्थन करते हुए कहा है कि राज्य प्राधिकरण हमेशा समय-समय पर सीएडी योजनाएं प्रस्तुत करते रहे हैं और इसे वैधानिक अधिकारियों द्वारा भी मंजूरी दे दी गई है। सीएडी योजनाओं पर डॉ. पांडे की समिति द्वारा दिनांक 10.2.2011 को लिए गए निर्णय और राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत सीएडी योजनाओं पर 29/30 अप्रैल, 2011 को लिए गए अन्य सभी बाद के निर्णयों का संदर्भ दिया गया है। श्री जैन ने न्यायालय को आश्वासन दिया कि विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार करते हुए एमओईएफ द्वारा निर्णय सख्ती से कानून के अनुसार लिया जाएगा। इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 11.5.2011 के आदेश के मद्देनजर समय लिया जा रहा है, जिसमें

एमओईएफ को रिट याचिकाकर्ता- सुश्री मेधा पाटकर को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद पर्यावरण मूल्यांकन समिति द्वारा तैयार किए गए मसौदा कार्यवृत के साथ आगे बढने का निर्देश दिया गया। हालांकि सुनवाई समाप्त हो गई, सुश्री मेधा पाटकर द्वारा प्रस्तुत बडी संख्या में दस्तावेजों पर अभी भी विचार किया जाना बाकी है। अंतिम निर्णय 4 सप्ताह के भीतर लिया जाएगा।

11. नहर प्रभावित व्यक्तियों को दी जा सकने वाली राहतों पर विचार करते हुए इस न्यायालय ने 5.5.2010 को निम्नलिखित आदेश परित कियाः

‘‘मध्य प्रदेश राज्य ‘कठिनाई के मामलों पर विचार करेगा; ऐसे मामले जिनमें किसी खातेदार की भूमि 60 प्रतिशत या उससे अधिक है, नहर के लिए अधिग्रहीत की जाती है, उन प्रभावित पक्षों को जहां तक संभव हो निकट के क्षेत्र में भूमि दी जा सकती है, उन प्रभावित पक्षों को जहां तक संभव हो निकट के क्षेत्र में भूमि दी जा सकती है या परियोजना के नहर कमांड क्षेत्र में और यदि यह संभव नहीं है, तो भूमि बैंक से दी जा सकती है। जिन खातेदारों को पहले से ही मुआवजा मिल चुका है, उन्हें पहले से ली गई मुआवजा राशि का 50 प्रतिशत सरकार को वापस करना होगा भूमि का मूल्य और शेष राशि सरकार को 20 ब्याज मुक्त वार्षिक किस्तों में वापस की जा सकती है। यदि खातेदार भूमि बैंक से भूमि लेने के इच्छुक

नहीं हैं तो उन्हें वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार मुआवजा और 30 प्रतिशत अतिरिक्त राशि दी जा सकती है। जो लोग कठिनाई के मामलों की श्रेणी में नहीं आते हैं उन्हें भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत 30 प्रतिशत मुआवजे के साथ मुआवजा दिया जाना है।

> इन प्रभावित पक्षों के संबंध में कोई भी शिकायत राज्य सरकार द्वारा स्थापित नर्मदा जल बेसिन परियोजना के लिए शिकायत निवारण प्राधिकरण के समक्ष रखी जा सकती है। भूमि बैंक को जहां तक संभव है उपजाऊ जमीन देनी चाहिए और साथ में बुनियादी ढांचा भी जैसे स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, संचार आदि की सुविधाएं भी प्रदान की जानी चाहिए।''

12. 2011 के आई.ए. संख्या 9 को विचाराधीन रखते हुए, दिनांक 21.7.2011 को उपरोक्त आदेश को निम्नानुसार संशोधित किया गया थाः

> ''खातेदारों को पहले से प्राप्त नकद मुआवजे का 50 प्रतिशत आवंटित भूमि के भूमि मूल्य के रूप में सरकार को वापस करना होगा और भूमि की शेष लागत का भुगतान 20 ब्याज मुक्त वार्षिक किस्तों में किया जाएगा।''

मामले की सुनवाई करते हुए, इस अदालत ने दिनांक 5.5.2010 के आदेश में उल्लिखित 30 प्रतिशत सोलेटियम का मतलब अधिनियम 1894

के तहत प्रदान किया गया है और इसे 60 प्रतिशत से अधिक बनाने के लिए नहीं है।

इसलिए सवाल यह बना हुआ है कि नहर प्रभावित व्यक्तियों को अन्य कौन सी राहतें दी जा सकती हैं और क्या उन्हें जलमग्नता प्रभावित क्षेत्र के विस्थापितों के बराबर रखा जा सकता है।

13. नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण पुरस्कार 1979 में 'विस्थापित' को परिभाषित किया गया और साथ ही पुनर्वास का भी प्रावधान किया गयाः

> ''विस्थापित- एक ''विस्थापित' का अर्थ कोई भी व्यक्ति होगा जो अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम से कम एक वर्ष पहले से स्थायी या अस्थायी रूप से जलमग्न होने की संभावना वाले क्षेत्र में सामान्य रूप से निवास कर रहा है या भूमि पर खेती कर रहा है या कोई व्यापार, व्यवसाय या आजीविका कर रहा है या लाभ के लिए काम कर रहा है।''

पुनर्वास के लिए प्रावधानः वर्तमान अनुमान के अनुसार विस्थापित परिवारों की संख्या मध्य प्रदेश के 173 गांवों में फैले 7,366 परिवार होंगे, महाराष्ट्र के 27 गांवों में फैले 467 परिवार होंगे। गुजरात उन परिवारों के लिए जो गुजरात में प्रवास करने के इच्छुक हैं। उन्हें पुनर्वास के लिए उल्लिखित

मानदंडों पर सरदार सरोवर परियोजना की सिंचाई कमांड में गुजरात में पुनर्वास गांवों की स्थापना करेगा। जो विस्थापित परिवार गुजरात में स्थानांतरित होने के इच्छुक नहीं हैं उनके लिए गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को उनके संबंधित क्षेत्रों में ऐसे गांवों की स्थापना के लिए लागत, शुल्क और खर्च का भुगतान करेगा जैसा कि मानदंडों के द्वारा प्रदान किया गया है।''

इस प्रकार उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि 'विस्थापित' की परिभाषा 'नहर प्रभावित व्यक्ति को अपने दायरे में नहीं लेती है। हालांकि उक्त पुरस्कार वर्तमान परिस्थितियों पर लागू नहीं होता है क्योंकि यह केवल सरदार सरोवर परियोजना जैसी अंतर-राज्य परियोजनाओं के लिए था।

14. जहां तक इंदिरा सागर परियोजना का सवाल है, इसे 24.6.1987 को मंजूरी दी गई थी और इसमें पुनर्वास के लिए कोई विशेष दिशा नहीं थी। इसी प्रकार ओंकारेश्वर परियोजना के लिए 13.10.1993 और उसके भाग (vii) को मंजूरी दी गई थी बशर्ते कि पुनर्वास कार्यक्रम को ''अनुमेय के अनुसार'' उपयुक्त भूमि की पहचान और आवंटन करके भूमिहीन मजदूरों और नहर के कारण प्रभावित लोगों तक बढाया जाएगा।

इस न्यायालय द्वारा नर्मदा बचाओ आंदोलन बनाम मध्य प्रदेश राज्य, एआईआर 2011 एससी 1989 में ''अनुमेय के अनुसार'' शब्दों की व्याख्या की गई है कि मंजूरी देते समय ऐसी शर्तों को जोडने से ऐसे व्यक्तियों के

पक्ष में पुनर्वास का अधिकार नहीं बनता है उसे आर एंड आर नीति की शर्तों के अनुसार बनाया जाना चाहिए। इस प्रकार हमें इस मुद्दे पर नए सिरे से पुनर्विचार करने का कोई कारण नहीं दिखता।

15. मध्य प्रदेश राज्य की सामान्य आर एंड आर नीति पैरा 1.1 में ''विस्थापित व्यक्ति को उस क्षेत्र के व्यक्ति के रूप में परिभाषित करती है जो परियोजना के कारण जलमग्नता में आने की संभावना है या जो परियोजना के लिए आवश्यक है। मध्य प्रदेश राज्य द्वारा 14.8.2000 को आर एंड आर नीति में शामिल किया गया था। जिनकी भूमि जलमग्नता में आने की संभावना थी या परियोजना से संबंधित नहर निर्माण के लिए आवश्यक थी।

16. नर्मदा बचाओ आंदोलन में इस न्यायालय(सुप्रा) ने एक समान मुद्दे पर विचार किया लेकिन पैरा 169 में नहर प्रभावित व्यक्तियों और जलमग्नता प्रभावित व्यक्तियों के बीच अंतर किया जो इस प्रकार हैः

> ''याचिकाकर्ताओं के इस तर्क से निपटते हुए कि 23,500 नहर प्रभावित परिवार होंगे और उनके साथ जलमग्न क्षेत्र के विस्थापितों के समान व्यवहार किया जाना चाहिए, उत्तरदाताओं ने मोटे तौर पर प्रस्तुत किया है कि परियोजनाओं के अपस्ट्रीम जलमग्नता क्षेत्र में प्रभाव और कमांड क्षेत्र के लाभार्थी क्षेत्र में इसके प्रभावों में एक

बुनियादी अंतर है। जबकि लोग जो जलमग्न क्षेत्र से विस्थापित थे उन्हें पुनर्स्थापन व पुनर्वास की आवश्यकता थी, दूसरी ओर कमांड क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अधिकांश लोग वास्तव में परियोजना के लाभार्थी थे और उनकी शेष भूमि को अब नहर के निर्माण के साथ स्थानांतरित किया जाएगा जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी। हम इस दृष्टिकोण से सहमत हैं और इसलिए ट्रिब्यूनल के फैसले में गुजरात राज्य को देने की आवश्यकता नहीं थी नहर प्रभावितों को वही राहत दी जानी चाहिए जो जलमग्न क्षेत्र के विस्थापितों के दी जानी चाहिए।''

(जोर दिया गया)

17. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश राज्य ने 1.9.2003 को आर एंड आर नीति में संशोधन किया और ''नहर या सरकारी परियोजना कॉलोनी के परियोजना संबंधी निर्माण के लिए आवश्यक हैं' शब्दों को हटा दिया। इस प्रकार उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए म.प्र. नहर प्रभावित व्यक्तियों को जलमग्नता प्रभावित व्यक्तियों के समान आर एंड आर पैकेज नहीं देता है।

18. इस न्यायालय ने यह विचार किया है कि नहर प्रभावित व्यक्तियों को जलमग्नता प्रभावित व्यक्तियों के बराबर नहीं रखा जा सकता

है इस प्रकार नहर प्रभावित व्यक्तियों को जलमग्नता प्रभावित व्यक्तियों के बराबर रखना न्यायालय के लिए संभव नहीं है।

तथ्य-स्थिति को देखते हुए उच्च न्यायालय के लिए इस उच्च न्यायालय द्वारा अपनाये गए दृष्टिकोण के विपरीत दृष्टिकोण रखना स्वीकार्य नहीं था, खासकर, जब उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर आया था कि दोनों के बीच उचित अंतर था।

19. जो भी हो, इस न्यायालय ने दिनांक 5.5.2010 के एक अंतरिम आदेश के माध्यम से नहर प्रभावित क्षेत्रों में "कठिनाई के मामलों" का भी ध्यान रखा है।

राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री अंध्यारूजिना ने विनम्रतापूर्वक सहमति व्यक्त की है कि नहर प्रभावित व्यक्तियों को अधिक लाभ देने के लिए न्यायालय कुछ और लाभ दे सकती है। राज्य ने सुझाव दिया है कि इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सभी मामलों में धारा 4 अधिसूचना की तारीख सभी नहर प्रभावित व्यक्तियों के संबंध में धारा 4 अधिसूचना की वास्तविक तारीख को ध्यान में रखे बिना इस फैसले की तारीख में स्थानांतरित (स्थगित) कर दी जाए और अधिनियम 1894 के प्रावधानों के अनुसार बाजार मूल्य को जल्द से जल्द फिर से निर्धारित करने का निर्देश दें, पूरक पुरुस्कार दें और ऐसे विस्थापितों को अधिनियम 1894 की धारा 18 के तहत संदर्भ दाखिल करने का अवसर दें।

20. राज्य सबसे उचित और मूल्यवान सुझाव लकर आया है अतः हम उसे स्वीकार करते हैं। उपरोक्त के मद्देनजर भूमि अधिग्रहण कलेक्टर को निर्देशित किया जाता है कि वे नहर प्रभावित व्यक्तियों के बाजार मूल्य पर पुनर्विचार करें जैसे कि उसी के संबंध में धारा 4 अधिसूचना दिनांक यानी 2.8.2011 को जारी की गई है और अधिनियम 1894 के प्रावधानों के अनुसार पूरक पुरस्कार प्रदान करें। राज्य द्वारा दी गयी ऐसी रियायत इस न्यायालय द्वारा दिनांक 5.5.2010 के आदेश के तहत दी गई। राहत से अधिक होगी जैसा कि बाद में स्पष्ट/संशोधित किया गया है, जैसा कि उपर्युक्त बताया गया है और यह भी स्पष्ट किया गया है कि आगे नहर का काम जो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा मंजूरी/दिशा दी जा सकती है के अधीन होगा।

21. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अपील का निपटारा किया जाता है...लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं।

आर.पी. अपील का निस्तारण किया जाता है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" द्वारा अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्रीमती सावित्री आनंद निर्भीक आरजेएस द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः- यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।